NT>

Title: Need to bring in a legislation for rehabilitation of the slum dwellers before their evacuation and removal of slums.

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल को यहां उठाना चाहता हूं। अभी-अभी माननीय न्यायालय ने एक आदेश दिया जिस में झुग्गी-झोंपड़ी में बसने वाले लोगों, खास तौर पर दिल्ली में जिन को हटाने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था दी जाती थी, उसकी आवश्यकता को खारिज करने का फैसला दिया है। यह फैसला इस संदर्भ में दिया गया है कि इसका दुरुपयोग होता है। मैं यहां चिंता प्रकट करना चाहता हूं लेकिन माननीय न्यायालय का सम्मान करना चाहता हूं। न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन के पास जमीन नहीं है और वे अनाधिकृत रुप से झोंपड़ी बना कर रहते हैं। प्रक्रिया यह है कि उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था दी जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं तथा आपका संरक्षण चाहता हूं। देश के करोड़ों लोग जो गरीब हैं, उनके लिए सरकार एक कानून लेकर आए और उसे यहां स वंसम्मित से पारित किया जाए। ऐसे गरीब लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना अनिवार्य है। …(व्यवधान) मैं ऐसा कानून बनाने की आप से मांग करता हूं। मैं इस बारे में सरकार से प्रतिक्रिया चाहता हूं कि जिन बेघर लोगों के ऊपर संकट आया है, उसका हल सरकार करना चाहती है या नहीं? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। …(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Rai, you have already stated.

...(Interruptions)

श्री नवल किशोर राय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। सरकार इसे संज्ञान में ले। … (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः सरकार इस बारे में चिंता प्रकट करना चाहती है तो कर सकती है।